APP-A
CRM-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम (26)

दालत ______________ मुकाम ______________

भगवत सिंह बनाम चन्द्रा कँवर

मुकदमा ______________ नं. 1149 सन् 2015

खख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.5.18	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 शिविर कुल मे पेश हुई। स्वीकृत मे मामला इस प्रकार है कि आ० नं० 394, 452, 457, 458, 459, 465, 466, 475 कुल किता 8 कुल रकबा 1.99 हे. जो प्रार्थी की मोहनला के नाम पर दर्ज होकर प्रार्थी का 20 वर्षों से निरन्तर काश्त कर रहा है। इसके अलावा [illegible] प० नं० मौजा कुल की आ० नं० 444, 449, 450, 460, 462, 463, 464, 510, 511, 512, 515 कुल किता 11 कुल रकबा 2.79 हे. जिसमे प्रार्थी का 1/2 हिस्सा होकर निरन्तर काश्त कर रहा हूँ। मौजा कुल प० नं० कुल की आ० नं० 1641/445 रकबा 1.32 हे. स्थित है जो मुख्य प्रार्थी को 1/6 हिस्सा चिन्हित होकर संयुक्त रूप से काश्त करता है। मौजा कुल प० नं० कुल की आ० नं० 481 रकबा 0.04 हे. जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा होकर संयुक्त काश्त मे है, व मौजा कुल की आ० नं० 445 रकबा 1.94 हे० मे प्रार्थी का 54/194 हिस्सा चिन्हित होकर संयुक्त काश्त में है। उक्त चौरस्वी	

(...क गोयल)
सहायक कलेक्टर एवं
...ड अधिकारी, ...
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आराजीयात है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के अलावा 2 तक का संयुक्त कब्जा भी चला आ रहा है तथा यह कि मुख्य प्रार्थी की गोदमाता चन्दा कंवर ने अपने जीवनकाल में भी समाज के पंचों के सामने एवं स्वयं लावलद होने के कारण मुख्य प्रार्थी को लगभग 20 वर्ष पूर्व गोद रखा लिया था तथा उसी समय से गोदमाता की सेवा, चाकरी भरण पोषण सामाजिक रीति रिवाज के अनुरूप खर्चा करता रहा है तथा मुख्य प्रार्थी को कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात का 1/2 हिस्से का काश्तकार घोषित फरमाया जाना आवश्यक है। चूंकि उक्त आराजी मेरी गोदमाता ने बेचान कर दी है अत: अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। क्योंकि कॉलम संख्या 3 से 5 तक में वर्णित आराजियात में प्रार्थी संयुक्त रूप से काश्तकार है तथा अलग का विभाजन कराना चाहते हैं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की कॉलम संख्या 3 से 5 तक में वर्णित आराजियात में भगवत सिंह पिता जसवन्त सिंह नाम के दर्ज रेकार्ड है व प्रार्थी अपने कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात पर गोद जाने जैसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। कॉलम संख्या 3 से 6 तक संयुक्त आराजियात में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर सहखातेदारों को उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होता है। प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर जमा रिकार्ड हो। आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (अभिषेक गोयल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner